कार्यक्रम जारी : करौली में ज़िला कलेक्टर अक्षय गोदारा नेबताया कि अप्रैल माह में होने वाली रात्रि चौपाल कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार, 17 अप्रैल से जान सुनवई होगी।

गैस एजेंसी संचालक सिलेंडरों को घर तक ही पहुंचाये : कलेक्टर अपर्णा गुप्ता

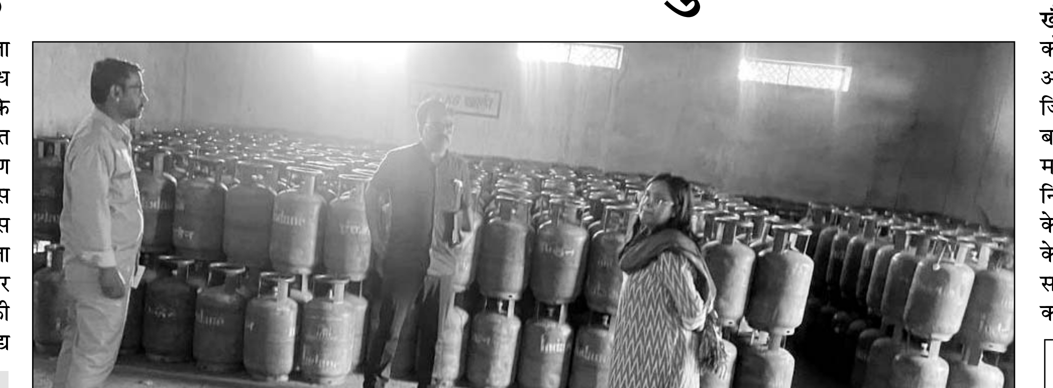

कोटपूतली कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अवैध संग्रहण की निगरानी के संबंध में कोटपूतली की रावत गैस एजेंसी और पावटा इंडेन ग्रामीण वितरक गैस गोदाम का निरीक्षण किया।

■ गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही के निर्देश - जिला कलेक्टर

कोटपूतली। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अवैध संग्रहण और कालाबाजारी की निगरानी के संबंध में शुक्रवार को कोटपूतली की रावत गैस एजेंसी और पावटा इंडेन ग्रामीण वितरक गैस गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान रसद विभाग के अधिकारी एवं गैस एजेंसी संचालक भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण कर एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता एवं वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें व अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुकिंग के सहायतार्थ निर्देश दें। गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि लोगों को बुकिंग के संबंध में समझाइश करें कि जो उनकी बुकिंग करने के विभिन्न प्लेटफार्म व नंबरों के बारे में समस्त जानकारी सहज व धैर्यपूर्वक प्रदान करें।उन्होंने कहा कि सभी गैस ऐजन्सी संचालक उपभोक्ताओं को होम डिलेवरी ही करे, बुकिंग और ओटीपी के बाद किसी भी सूरत में प्वाइंट डिलेवरी नहीं हो। उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया कि प्वाइंट डिलेवरी हेतु चौराहे पर भीड नही हो और लो एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगडे। इस दौरान गैस एजेंसी के सॉफ्टवेयर और सिस्टम का भी निरीक्षण किया गया। उपस्थित उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई।मौके पर जिला कलेक्टर द्वारा आमजन को बुकिंग के संबंध में धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है । जिला कलेक्टर ने कहा कि गैस आपूर्ति में परेशानी आने अथवा घरेलू गैस सिलेंडरों के संबंध में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि के संबंध में उपभोक्ता तीन हेल्पलाइन नंबरों, क्रमशः 112, 14435, 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत प्राप्त होते ही प्रशासन त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करेगा। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एजेंसी गोदामों में सिलेंडरों की स्थिति सही पाई गई। गैस एजेंसी संचालकों द्वारा बताया गया कि बॉटलिंग प्लांट से उनके पास सप्लाई समुचित रूप से प्रतिदिन नियमित रूप से आ रही है।

बैठक में हीट वेव से बचाव को लेकर दिए निर्देश

खैरथल। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को चिकित्सा विभाग एवं आयुर्वेद विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आगामी ठीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने आमजन से हीट वेव के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सतर्कता रखने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में लू-तापघात के मरीजों के लिए गाइडलाइन के अनुसार बेड आरक्षित रखे जाएं। साथ ही कूलर, शुद्ध पेयजल एवं आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in,
Phone No. 0141-2782772
क्रमांकः-DHC-II/54 दिनांक :- 10-4-26
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 77/205, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 89.40 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री प्रेम वासनानी पुत्र श्री ईश्वर दास को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2475 दिनांक 17.12.1998 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 21.01.1999 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2061 दिनांक 15.01.2004 के द्वारा श्री प्रभुदयाल गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता एवं श्री बाबूलाल पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री प्रभुदयाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 29.08.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री बाबूलाल पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त सम्पूर्ण आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री बाबूलाल पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
साधारण प्रारूप
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम सं0 1 सांभरलेक
विष्णु जैवलिया बनाम सोहनीदेवी व अन्य
प्रार्थना पत्र 92/2025
विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा 13 (1) (1) (1क) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
बनामः-1-सोहनीदेवी पत्नि विष्णु जैवलिया पुत्री छगनलाल जाट उम्र 28 साल जाति जाट निवासी 49, जाटो की ढाणी, माल्यावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0 हाल निवासी 13, खाचरियो की ढाणी, शार्दूलपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
2-रमेश चब्द चौधरी पुत्र रामथन चौधरी उम्र 33 साल जाति जाट निवासी 13, खाचरियो की ढाणी, शार्दूलपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
उक्त प्रार्थी-याची ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 18/04/26 को 7.30 बजे ए0एम0 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो । यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश को सुनवायी और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
अतः आज दि0.10/04/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
रीडर ग्रेड प्रथम
मोहर अदालत — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 01 सांभर लेक जिला जयपुर

विवाधको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और 5
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जि0जयपुर
क्रमाक-146 दिनाक-24/3/26
हनुमान वगैरह बनाम अतुल वगैरह
वाद पत्र सं. 106/2025
वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी निषे.
बनामः-1-अतुल पुत्र गोकुलचन्द 2-उषादेवी पुत्री श्री नारायण 3-पुष्पादेवी पुत्री श्रीनारायण 4-बाबूलाल पुत्र श्रीनारायण 5- मुकेश पुत्र गोकुल चन्द 6 मंजूदेवी पुत्री श्रीनारायण 7-राजदुलारी पत्नि गोकुलचन्द 8-रामप्यारी पत्नि श्रीनारायण 9-विजय कुमार पुत्र श्रीनारायण 10-विनय गोकुलचन्द, समस्त जाति महाजन निवासी मालवो की गली, पुराना कोर्ट सांभरलेक जिला जयपुर पुत्र उपरोक्त आपके विरुद्ध उपरोक्त के वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 16/4/26 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करे।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता0 24/3/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।
न्यायाधीश
मोहर अदालत — उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/2084
चूंकि प्रार्थी श्री SHYAM SUNDAR SARASWAT, 120/16 VIJAY PATH, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN, 302020 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास राइजिंग होप्स सोसायटी 120/16 VIJAY PATH, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN, 302020 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 04.06.2026
सहायक आयुक्त
मोहर अदालत — देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारुप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान
कैलाश चन्द वगैरह बनाम केशरी देवी वगैरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
प्रार्थना पत्र संख्या
बनाम केसरी, सरजो, सन्ती, कमला पुत्रीयान स्व. घीसाराम, राजेश, अशोक, सुमन माता मन्नी पुत्री स्व. घीसाराम, गैदी पत्नि स्व. मंगल, राजकुमार, ओमप्रकाश पुत्रान स्व. मंगल समस्त जाति जाट निवासी दादा का बास तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान प्रार्थी नें आपके विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट हेतु पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 16/04/26 को दिन में 10 बजे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी वारदान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखि/सुजराई का प्रार्थना पत्र और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।
आपको सूचित किया जाता है यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो प्रार्थना पत्र की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह प्रार्थना पत्र तारीख 07/4/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
उपखण्ड अधिकारी
मोहर अदालत — पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिलने पर प्रमुख शासन सचिव नाराज

■ सफाई अव्यवस्था व मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर भी जताई नाराज़गी

■ पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्य सचिव ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी। अभी तक नहीं हुआ सुधार

भरतपुर (निस)। संभाग में चिकित्सा सेवाओं की हकीकत जानने के लिए चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड एवं उप निदेशक वंदना ने आरबीएम अस्पताल और जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के बाद प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने बताया कि अस्पताल में रोजाना करीब 4 हजार मरीज ओपीडी में आते हैं। यदि हर मरीज के साथ एक अटेंडेंट को जोड़ा जाए तो लगभग 8 हजार लोग प्रतिदिन अस्पताल परिसर में मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस भारी भीड़ के अनुपात में अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं। उन्होंने विशेष रूप से साफ-सफाई व्यवस्था पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि सफाई का वर्तमान स्तर संतोषजनक नहीं है और इसमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन को स्टाफ बढ़ाने और सफाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पिछले वर्ष भी तत्कालीन मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान आरबीएम अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई थी जो पूरे राज्य में चर्चित रही थी लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आरबीएम अस्पताल में आरएसआरडीसी द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिसे जिला कलेक्टर के साथ समीक्षा कर तेज किया जाएगा ताकि इसी वर्ष आम जनता को नई सुविधाएं मिल सकें।

राजकीय जनाना अस्पताल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिलाओं और नवजात शिशुओं को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज योजनाओं का लाभ मिले और अस्पतालों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित हों। निरीक्षण के दौरान मैनपावर की कमी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्टाफ की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। डेढ़ महीने से वार्ड में इलाज के लिए भर्ती एक महिला का अभी तक समुचित इलाज नहीं होने को प्रमुख सचिव ने गंभीरता से लेकर इलाज के निर्देश दिए। इसके अलावा बुजुर्ग मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फॉलो-अप सिस्टम मजबूत करने और नजदीकी सीएचसी स्तर पर फिजियोथेरेपी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक्शन प्लान बनाने की बात कही। प्रमुख शासन सचिव ने आरबीएम अस्पताल पहुँचकर आपातकालीन सेवाओं के तहत दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण कर गंभीर रोगियों के लिये समय पर प्राथमिक उपचार के साथ अस्पताल के वार्डों में त्वरित इंतजामात करने के निर्देश दिये।

ढाबे पर खाना खाते समय विवाद, बाहर निकलते ही युवक पर फायरिंग

जयपुर, लालसोट । दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के जमात स्थित दयाल भोजनालय में शुक्रवार दोपहर खाना खाते समय दो गुटों के युवकों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कहासुनी के बाद एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिससे धर्मेंद्र मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद सीपा ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे जमात चौराहे के पास ढाबे पर खाना खाने के दौरान दो युवकों में कहासुनी हो गई। इसके बाद बाहर निकलते ही एक युवक ने धर्मेंद्र पर गोली चला दी। थानाधिकारी पवन जाट के अनुसार, एक गुट में 5 और दूसरे में 3 युवक शामिल थे। विवाद के बाद एक गुट के युवक कार में बैठकर निकलते समय धर्मेंद्र मीणा पर फायरिंग कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद सीपा और डिप्टी एसपी दिलीप मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ढाबे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। लालसोट जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. राजकुमार सहारा ने बताया कि धर्मेंद्र को गन शॉट इंजरी के चलते गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

आम सूचना
मैं आवासीय मकान 29 और 30 जो की स्कीम न. K-5A, सेक्टर 13, खातीपुरा रोड, जयपुर में स्थित है जिसे वर्तमान में कृष्णा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, जिसे द कृष्णा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा आवंटित किया गया है को क्रय करने का इकरारनामा उसके मालिकगण श्री राजेश ग्रोवर और मीनू ग्रोवर से कर रहा हूँ यदि उक्त मकान न. 29-30, के विक्रय/हस्तांतरण इत्यादि के संबंध में किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों, संस्था, कंपनी, इत्यादि को किसी भी प्रकार की आपत्ति , आक्षेप इत्यादि हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिन (सात दिन) की अवधि में मय दस्तावेज मुझे सूचित करे, अन्यथा बाद मियाद आपत्ति अमान्य मानी जायेगी तथा उक्त मकान न. 29-30, के विक्रय पत्र का विधिवत पंजीयन करा दिया जाएगा ।
दिनाक : 11/04/2026, स्थान : जयपुर
जयंत कुमार अग्रवाल 9251147308

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 41/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री नरहरि शर्मा व प्रवीण शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास मंदिर श्री नृसिंह जी ट्रस्ट बागवाडा, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 9/ जयपुर/ 2006 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-4 प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने प्रन्यास के अध्यक्ष श्री गोपालदास का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री प्रवीण शर्मा को अध्यक्ष, श्री अभिषेक शर्मा को मंत्री व श्री नरहरि को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर तथा प्रन्यास विधान में उत्तराधिकार के नियमों में संशोधन कर उक्त परिवर्तनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.5.26
सहायक आयुक्त (प्रथम)
मोहर अदालत — देवस्थान विभाग, जयपुर

सार्वजनिक सूचना
इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रिंटफ्रेश एलएलसी, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक कंपनी (जिसे आगे "हमारा ग्राहक" कहा जाएगा), "बधीरा" नामक मूल कलाकृति (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है) (जिसे आगे "संरक्षित कृति" कहा जाएगा) की एकमात्र और अनन्य स्वामी है।

संरक्षित कृति हमारे ग्राहक द्वारा विकसित एक 'मौलिक कलात्मक रचना' है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉपीराइट कार्यालय में पंजीकरण संख्या VA 2-183-396 के तहत विधिवत पंजीकृत है, जिसकी प्रभावी तिथि 23 अक्टूबर, 2019 है। पंजीकरण और कॉपीराइट कानूनों के लागू प्रावधानों के आधार पर, हमारे ग्राहक के पास संरक्षित कृति पर अनन्य अधिकार, स्वामित्व और हित हैं, जिसमें वाणिज्यिक उपयोग का अनन्य अधिकार, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, अनुकूलन, वितरण, शोषण और किसी भी रूप या माध्यम में तीसरे पक्ष द्वारा आगे उपयोग को अधिकृत करने का अनन्य अधिकार शामिल है। संरक्षित कृति को हमारे ग्राहक द्वारा किसी भी कपड़े, वस्त्र, परिधान, सामग्री या किसी अन्य उत्पाद पर पुनरुत्पादन, नकल, मुद्रण, अनुकूलन या अनुप्रयोग के लिए लाइसेंस, आवंटन, अधिकृत या अन्यथा अनुमति नहीं दी गई है, चाहे वह हमारे ग्राहक द्वारा स्पष्ट रूप से या अन्यथा निर्मित किया गया हो। इसलिए, कोई भी व्यक्ति या संस्था जो हमारे ग्राहक की पूर्व लिखित सहमति के बिना "संरक्षित कृति" के उपयोग या चित्रण, या उसके किसी मिलते-जुलते या पर्याप्त रूप से पुनरुत्पादित उत्पाद का पुनरुत्पादन, नकल, अनुकरण, अनुकूलन, निर्माण, विपणन, वित्तरण या बिक्री करती है, वह हमारे ग्राहक के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करेगी और ऐसा पुनरुत्पादन अपने स्वयं के जोखिम, लागत और परिणामों के लिए करेगी। हमारे ग्राहक के पास भारत में "संरक्षित कृति" और उसके किसी भी उल्लंघन के संबंध में सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिनमें किसी भी ज्ञात या अज्ञात पक्ष के विरुद्ध उचित दीवानी और / या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार शामिल है। यह सूचना हमारे ग्राहक द्वारा अधिकारों की घोषणा के रूप में और जनता को "संरक्षित कृति" में हमारे ग्राहक के स्वामित्व अधिकारों के किसी भी उल्लंघन में शामिल होने से आगाह करने के लिए जारी की जा रही है।
जारीकर्ताः
सूरी एंड कंपनी, लॉ फर्म,
फ्लैट नंबर 10 और 12,
गोल्फ अपार्टमेंट्स,
सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003
स्थान : जयपुर, राजस्थान
दिनांक : 10/04/2026

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 11122 दिनांक: 30.03.2026
जाहिर आम-सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या A/LIG/6/1 (GF) (LIG) का आवंटन **श्री नन्द लाल भाटिया पुत्र स्व. श्री जिंदा राम भाटिया** को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2206 दिनांक 31-01-2012 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्र निष्पादन दिनांक 08.01.2013 को कर दिया गया। श्री नन्द लाल भाटिया द्वारा **श्री सत्यापाल भाटिया पुत्र श्री जवाहर लाल भाटिया** को दिनांक 08.01.2013 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री सत्यापाल भाटिया द्वारा मुख्त्यारनामा की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र **श्री बत्तूराम मीना पुत्र श्री सिरमोहर मीना** को दिनांक 01.02.2013 को विक्रय पत्र उप पंजीयक (प्रथम) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात आवेदक श्री **बत्तूराम मीना** द्वारा आवेदन करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1686 दिनांक 01.01.2015 के द्वारा मण्डल रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। श्री **बत्तूराम मीना** की मृत्यु दिनांक 31.12.2025 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी **श्रीमती ममतेश मीना पत्नी स्व. श्री बत्तूराम मीना** द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, **श्रीमती ममतेश मीना पत्नी स्व. श्री बत्तूराम मीना का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।**
सम्पदा प्रबन्धक
वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय पंचायत समिति, चौथ का बरवाडा
क्रमांक-प.स.सीकेबी/लेखा/2026-27/22 दिनांक-07/04/2026
निविदा/नीलामी विज्ञिप्त सूचना संख्या 05/2026-2027
वित्तिय वर्ष 2026-27 के लिए निम्न कार्य हेतु ठेकेदारों से खुली बोली हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आंमत्रित की जाती है। हड्डी ठेका के लिये खुली बोली लगवाई / पुकराई जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये	अमानत राशि रूपये	निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	हड्डी ठेका नीलामी	1.90 लाख	400/-	10,000/-	खुली बोली 15.04.2026 को दोपहर 2.00 बजे से प्रारम्भ		

हड्डी ठेका हेतु निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी एवं हड्डी ठेका की खुली नीलामी की बोली दिनांक 13.04.2026 को 2:00 पीएम से प्रांरभ की जावेगी। शेष निविदा शर्तें Web Portal http://sppp/rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
(इन्द्राज मीना)
विकास अधिकारी
प.सं. चौथ का बरवाडा
NIB No-ZSM2627A0010
UBN No- ZSM2627SSLB0024

Aavas
SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA
आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड
(सीआईएनः L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020, राजस्थान, भारत | फोनः +91 141 661 8800
फैक्सः +91 141 661 8861 | ईमेलः info@aavas.in | वेबसाइटः www.aavas.in
सार्वजनिक सूचना
कंपनी की जोबनेर शाखा को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की सूचना
यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की **जोबनेर शाखा** इस सूचना की तारीख से तीन महीने बाद **ग्राउण्ड फ्लोर, जयपुर रोड, पुलिस थाना के पास, जोबनेर, जिला - जयपुर, राजस्थान - 303328 से बीएच प्लाजा, पहली मंजिल, जयपुर रोड, जोबनेर, पुलिस थाना के पास, जिला - जयपुर, राजस्थान - 303328** स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाएगी ।
आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड के लिए
एसडी/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दिनांकः 11 अप्रैल 2026
स्थानः जयपुर

वीर हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव पर कलश यात्रा निकाली

■ श्रीराम मन्दिर लक्ष्मीनगर से प्रारम्भ होकर वीर हनुमान जी प्राचीन मन्दिर गुमका जोहड़ा पहुंची

कोटपूतली । कस्बे के गोपालपुरा रोड पर गुमका जोहड़ा स्थित वीर हनुमान जी प्राचीन मन्दिर में शुक्रवार को विशाल कलश यात्रा एवं भण्डारे का आयोजन हुआ। कलश यात्रा प्रातः 08.15 बजे श्रीराम मन्दिर लक्ष्मीनगर से प्रारम्भ होकर वीर हनुमान जी प्राचीन मन्दिर गुमका जोहडा पहुंची। कलश यात्रा को बाबा श्री श्री 1008 श्री निरंजनदास महाराज व श्री श्री 108 रामबच्चन दास महाराज, आचार्य कृष्ण कांत शास्त्री मलसीसर झुंझुनू ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर रवाना किया। यात्रा के दौरान महिलायें मंगल कलश के साथ भजनों की धून पर नाचते गाते हुये कलश यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह-जगह पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा के उपरान्त संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें दूर दराज से 07 मंडलों के महंत, महामंडलेष्वर पहुंचे। संत सम्मेलन के बाद उपस्थित सभी संतो की विदाई की गई। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ठाहण की। वहीं इन्द्राज महासी एण्ड पार्टी चिमनपुरा द्वारा लोकगीत एवं बालाजी महाराज के भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। शुक्रवार रात्रि 09.15 बजे से जागरण का आयोजन हुआ। शनिवार 11 अप्रैल को विशाल मेले का आयोजन होगा। जिसमें कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया जायेगा। इस दौरान महामण्डलेष्वर खोजीपीठाधीशवर राम रिछपालदास जी महाराज, राम चरणदास एवं प्रभुदास त्रिवेणी धाम, महामण्डलेष्वर जनार्दनदास जी महाराज विरक्त मंडल सताईसा नारायणपुर, महामण्डलेश्वर श्री कालीदास जी महाराज, मक्खनदास जी महाराज, श्री सीतारामदास जी महाराज नागाजी की गौर, रामनरेशदास जी महाराज वीर

भावभीनी श्रद्धांजलि

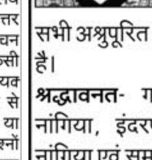

हमारे पूजनीय पिताजी
श्री सत्य पाल नांगिया जी
के स्वर्गवास पर हम सभी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते है।
श्रद्धावनत- गगन नांगिया, सुमित नांगिया, इंदरपाल नांगिया, वीरेन्द्र नांगिया एवं समस्त परिवारजन

खोया पाया

मेरे मकान नम्बर- 171/24 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की सभी ओरिजिनल जमा रसीद कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें चित्रा अग्रवाल- 9612186980

भूखंड सं-बी-43, ए-43,41,45 एवं सी/74 जे.डी.ए की योजना ट्रक टर्मिनल योजना फेज-1 ग्राम- असरपुरा तह- सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन-पत्र जो कि रामेश्वर उर्फ़ रामू, जगदीश पुत्रान चन्दा (क़.सं.-डी-1846 दिनांकः 08.07.2015) से जारी हुआ था जो कि कही गुम हो गया है सूचित करे- ममता, सीता, सीताराम, सुरेश, मो. 9828992222

आवास संख्या 116/108 कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। Surendra Khichi मो. 9772370495

मेरे मकान 1-घ-46 नाहरी का नाका जयपुर के मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, इन्वेंटरी- शास्त्री नगर जयपुर में कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें- करिश्मा टीना सेमुएल- 9782000575

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर जोर

भरतपुर (निस)। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत गठित जिला अभिसरण योजना समिति एवं जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि आवंटन, भवन निर्माण तथा क्षितठास्त केंद्रों की मरम्मत कार्यों की प्रगति पर संबंधित सीडीपीओ से फीडबैक लिया। साथ ही आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि नंद घर योजना, वेदांता ठुप की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त स्मार्ट लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने सभी सीडीपीओ अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने उपखंड अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर क्षितठास्त आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं कायाकल्प के लिए 15 दिवस में रिपोर्ट जिला परिषद को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि चयनित 307 केंद्रों के अतिरिक्त अन्य केंद्रों को भी नंदघर के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने भुसावर ब्लॉक विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत झारौटी में नव आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की बात कही। उन्होंने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बयाना, सेवर एवं वैर उपखंड क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीडीपीओ को निर्देशित किया कि वे सुपरवाइजरों के माध्यम से पाइपलाइन की वास्तविक स्थिति का आकलन करें तथा आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक रूप से हैंडपंप लगाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिला कलक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कहा कि आगामी दो माह तक विशेष अभियान संचालित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे कर अति कुपोषित एवं कुपोषित बच्चों की पहचान सुनिश्चित की जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए पोषाहार समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जावे।

उन्होंने वैर, भुसावर एवं नदबई क्षेत्रों में विद्यार्थियों के शैक्षिणक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण हेतु अपार आईडी में प्रगति लाने की बात कही। उन्होंने समसा अंतर्गत शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा सभी उपखंड अधिकारियों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में सेनेटरी नैपकिन, पोषक आहार की गुणवत्ता एवं बच्चों की स्थिति की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना में गोद भराई कर दो गर्भवती महिलाओं को पोषण किट प्रदान किया।

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण मोहन लाल लाखीवाल पुत्र स्व. श्री देवा राम लाखीवाल एवं श्रीमती मोहिनी देवी पत्नि श्री मोहन लाल लाखीवाल निवासी टी-63, टीला नं. 7बी, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से अपने पुत्र हेमन्त लाखीवाल पुत्र श्री मोहन लाल लाखीवाल जो कि मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं है एवं मेरे अभिभाष्यगण से लडाई-झगड़ा करता है के कारण अपनी चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है हेमन्त लाखीवाल पुत्र श्री मोहन लाल लाखीवाल के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किये गए किसी भी वित्तीय लेन देन व वाद विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है एवं मेरे अभिभाष्यगण का उक्त हेमन्त लाखीवाल से किसी भी प्रकार का कोई लेना- देना नहीं है एवं नाही भविष्य में रहेगा।
दि. 10.04.2026 Shivraj Singh Rathore, Advocate
Place: Jaipur Mobile 9588073550

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-166 दिनांक-10/04/2026
जाहिर आम-सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 64/651 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती राजकरनी पत्नी स्व. श्री कश्मीरी लाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 833 दिनांक 15.02.1992 को जारी किया गया।
श्रीमती राजकरनी की मृत्यु दिनांक 29.03.2012 को हो जाने के कारण अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर इनके पुत्र श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कश्मीरी लाल द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बावत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कश्मीरी लाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम,
राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
क्रमांकः F-JDA/Zone 17/2026/D-64
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 283739 दिनांक 17/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/नीलामक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	नियमन/निजी खातेदारी/सोसायटी	योजना का नाम	सेक्टर/ब्लॉक/आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajesh Pathak S/o DINESH CHANDRA PATHAK	श्रीमती शकुंतला शर्मा पत्नी श्री दिनेश चन्द्र पाठक व श्रीमती छवि पाठक पत्नी श्री राजेश पाठक	61	273.00 SQ. METER	Private	SUN CITY Sector/Block-K	Name Transfer	सक्षम दस्तावेजों के अनुसार

श्रीमती शकुंतला शर्मा की दिनांक 17.01.2025 को मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मृतक के वारिसो द्वारा जरिये हकत्याग के आधार पर श्री राजेश पाठक के पक्ष दिनांक 18.02.2025
उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

!! कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली (राज.) !!
क्रमांकः-स्टोर/करौली/2026/72-79 दिनांकः 10.04.2026
खुली निविदा सूचना
वित्तिय वर्ष 2026-27 के लिए स्टेशनरी/विविध सामग्री क्रय करने हेतु निम्नानुसार खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 16.04.2026 को कार्यालय समय में उपस्थित होकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। नियत दिनांक एवं समयोपरान्त प्राप्त निविदाऐ अमान्य होगी। प्राप्त निविदाऐ अमान्य होगी। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 16.04.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक जमा कर, दिनांक 16.04.2026 को 02.00 पी.एम. पर समस्त निविदादातों के समक्ष खोली जावेगीं।

क्र. सं.	नाम आईटम	अनुमानित राशि	निविदा फार्म	धरोहर राशि
1.	वित्तिय वर्ष 2026-27 के लिए स्टेशनरी/विविध सामग्री क्रय करने हेतु दरों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध	05.00 लाख	500/- रू.	10000/रू.

नोटः-बिड प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली में किसी भी कार्य दिवस को पोस्टल आर्डर/डी.डी./चैक जमा करवाकर दिनांक 16.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट karaulipolice.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurment Portal से भी डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड किये गये बिड प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित शुल्क बिड दाता द्वारा पृथक से पोस्टल आर्डर/डी.डी./चैक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली के नाम से बिड के साथ संलग्न करना होगा। देरी से प्राप्त निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा शर्तें वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक
करौली

!! कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली (राज.) !!
क्रमांकः-स्टोर/करौली/2026/80-87 दिनांकः 10.04.2026
खुली निविदा सूचना
कार्यालय की विभिन्न शाखाओं, जिले में स्थित वृत कार्यालयों/पुलिस लाईन करौली/पुलिस थानों/पुलिस चौकियों/ पुलिस नियंत्रण कक्ष/यातायात शाखा करौली/हिण्डौन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रपत्र प्रिन्ट कराये जाने एवं रजिस्टर आदिकी जिल्द का कार्य कराये जाने के लिए दर अनुबन्ध हेतु निविदाऐ आमंत्रित की जाती हैं। जो दिनांक 16.04.2026 को कार्यालय समय में उपस्थित होकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। नियत दिनांक एवं समयोपरान्त प्राप्त निविदाऐं अमान्य होगी। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 16.04.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक जमा कर, दिनांक 16.04.2026 को 02.00 पी.एम. पर समस्त निविदादातों के समक्ष खोली जावेगीं।

क्र. सं.	नाम आईटम	अनुमानित राशि	निविदा फार्म	धरोहर राशि
1.	वित्तिय वर्ष 2026-27 में प्रपत्र प्रिन्ट कराये जाने एवं रजिस्टर आदि की जिल्द का कार्य कराये जाने की दरों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध।	3.00 लाख	500/- रू.	6000/रू.

नोटः-बिड प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली में किसी भी कार्य दिवस को पोस्टल आर्डर/डी.डी./चैक जमा करवाकर दिनांक 16.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट karaulipolice.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurment Portal से भी डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड किये गये बिड प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित शुल्क बिड दाता द्वारा पृथक से पोस्टल आर्डर/डी.डी./चैक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक करौली के नाम से बिड के साथ संलग्न करना होगा। देरी से प्राप्त निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा शर्तें वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक
करौली